प्र. स. 4/2022 प्रा. पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/01/2026.	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उप०। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय दि. 10/04/2018 के विरुद्ध दिन 12/12/2022 को पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की गई है। निर्णय के 4 वर्ष 8 माह बाद रिव्यू प्रस्तुतीकरण किया गया है तथा प्रस्तुत रिव्यू में भी दिनांक 19/11/2024 से निरन्तर अनुपस्थित चले आ रहे हैं। ज्ञातव्य है कि पुनर्विलोकन (Review) का दायरा (scope) सीमित होता है तथा अपीलान्ट द्वारा मयाद बाहर रिव्यू प्रस्तुत किया गया है जबकि उनके पास अपील का रास्ता उपलब्ध था। साथ ही वे पुनर्विलोकन के जरिए प्रकरण में पुनः सुनवाई व साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं, जो 'अपील' का क्षेत्राधिकार है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत पुनर्विलोकन पोषणीय (maintainable) नहीं पाया जाने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20/01/2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 20/1/2026 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)	